न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—384 / 2015 / 223 (2015 / 00227)

1. श्योजी पुत्र रूग्गा,
2. लालचंद पुत्र रूग्गा,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी घूघरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. काना पुत्र भागीरथ,
2. चर्तुभुज पुत्र पांचू,
3. तेजमल पुत्र पांचू,
4. श्रीमती फूमीदेवी बेवा पांचू,
5. सुरेश पुत्र छोटू, नाबालिग जरिये सरंक्षक काना पुत्र भागीरथ,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी घूघरा, तहसील व जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर दिनांक 15.7.2017 अंतर्गत वाद संख्या 83 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 28.6.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 92—ए राजव0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेउदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है । वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खसरा नंबर साबिक 1061 रकबा 2—2—00, हाल खसरा नंबर 1595 रकबा 2—2—0 किस्म बा—2, साबिक खसरा नंबर 1068 रकबा 1—8—0 हाल खसरा नंबर 00—5—00, साबिक खसरा नंबर 1069 रकबा 1—2—00 हाल खसरा नंबर 1605 रकबा 1—2—00, साबिक खसरा नंबर 1111 रकबा 1—00—10 हाल खसरा नंबर 1—9—00 कुल किता 4 कुल रकबा 4—19—00 है । उपरोक्त आराजियात भागीरथ व रूग्गा पिसरान गीगा की खातेदारी की आराजियात रही है । रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रूग्गा एवं उनकी पत्नि नानीदेवी फौत हो चुके है जिनके मात्र दो जायंदा पुत्र क्रमशः श्योजी एवं लालचंद वादीगण है एवं भागीरथ पुत्र गीगा का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं भागीरथ की पत्नि का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस काना पुत्र भागीरथ

जीवित है जिसके वारिसान प्रतिवादी संया 2 लगायत 4 है एवं छोटू पुत्र भागीरथ एवं उनकी पत्नि का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसका एकमात्र वारिस सुरेश जो कि प्रतिवादी संख्या 5 है । इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पिता एवं दादा भागीरथ पुत्र रूग्गा उपरोक्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो कि जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 से सिद्ध है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 विवादित आराजियात पर संवत् 2015 से ही बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है पर वादीगण एवं प्रवितादीगण संख्या 1 लगायत 5 अजमेर में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.6.1958 को लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आने से राज0काश्त0अधि0 में लागू होने पर प्रथम चौसाला जमाबंदी 2016 से 2019 मे वादीगण एवं प्रतिवादी को बहैसियत खातेदार दर्ज किया गया है लेकिन दौराने बंदोबस्त भू–प्रबधं विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित कर वर्किंग जमाबंदी में विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज कर दी गई । अतः मे वादपत्र स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित कर वादीगण के हक में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न केवल पत्रावली पर विद्यमान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत है बरन् विधिक प्रावधानों, प्रतिपादित सिद्धांतों व न्यायिक दृष्टांतों व न्यायिक प्रक्रिया के भी प्रतिकूल है । वाद प्रस्तुत होने पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 4 तनकियात कायम की गई एवं वादीगण की साक्ष्य ग्रहण की गई जिसमें वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्शित करवयो गये एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा जिरह की गई तत्पश्चात् वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु नियत थी किन्तु उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत रहते अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट घूघरा ले जाया जाकर पक्षकारान की पीठ पीछे निर्णित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 सुरेश पुत्र छोटू नाबालिग है जिसे जरिये सरंक्षक काना पुत्र भागीरथ (प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1) मुर्तिब किया गया है लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 तथा 5 दोनों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही जारी कर दी गई जबकि नाबालिग रेस्पो0 संख्या 5 का सरंक्षक प्रतिवादी संख्या 1 था जिसके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधिविरूद्ध है जबकि अधी0न्याया0 को नाबालिग का सरंक्षक नियुक्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये थी । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर पक्षकारान के पूर्वज संवत 2015 के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे है जो खसरा गिरदावरी संवत् 2015 लगायत 2054 से सिद्ध है । इसी कारण जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में पक्षकारान के पूर्वज बहैसियत खातेदार दर्ज किये गये है क्योंकि उन्हें राज0काश्त0अधी0 दिनांक 15.8.1956 को लागू होने पर विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए लेकिन अनावृष्टि के

कारण भूमि पड़त रहने से जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि किसी भी आराजियात को कुछ समय प्राकृतिक आपदा के कारण काश्त नहीं हो पाने से पड़त रह जाने पर सिवायचक दर्ज करने बाबत् राज0काश्त0अधि0 में कोई प्रावधान नहीं है । धारा 15 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार उन्हें विधि प्रभाव से खातेदारी अधिकार प्रौधबुद्ध हो चुके थे । अधी0न्याया0 ने उक्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यो से अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखे जाने के संबंध में कोई नोटिस दिये बिना तथा बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये प्रकरण को कैम्प कोर्ट घूघरा में निर्णित किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली वादी के गवाह पी0डब्ल्यू0 3 श्योजी पुत्र रूग्गा की जिरह में विचाराधीन थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित कर दिया । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से भी सहमत है कि कैम्प कोर्ट में केवल वे ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते है जिन प्रकरणों में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो । अधी0न्याया0 ने पी0डब्ल्यू0 3 श्योजी की जिरह कराये तथा प्रविवादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 15.7.2015 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर